

फाइल सं. ए.12018/49/2019-कुष्ठ  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख' (समूह 'ग') के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टु में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख' (समूह 'ग') के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।  
[manoikumar.upadhyay29@gov.in](mailto:manoikumar.upadhyay29@gov.in)

*मनोज*  
01/12/22  
(मनोज कुमार उपाध्याय)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 01/12/22

[ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख .....,2022.

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980, जहाँ तक उसका संबंध संगणक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख' (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

(क)जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'ख'	4* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18 एवं 25 वर्ष के बीच*  यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण अथवा समान अर्हता  (ii) डाटा एंट्री कार्य हेतु प्रति घंटा 8000 कुंजी से कम गति नहीं होनी चाहिए।  टिप्पण :1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हितअभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती ।  नोट:1 प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए

				<p>लिए चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामलें में पैंतालिस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>सकती है ।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>	<p>पदधारी का बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी ।</p> <p>(क) नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 पर सदृश पद;</p> <p>और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं ।</p>
--	--	--	--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	<p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान , चेंगलपट्टू - अध्यक्ष</li> <li>2. उप-निदेशक या सहायक निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य</li> <li>3. चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य ।</li> </ol>	लागू नहीं होता ।

फा.सं. ए.12018/49/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)  
अवर सचिव, भारत सरकार